उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड–249404

संख्या : 135/04/E-3/R.I.(Tech)2021-22 दिनांक : 08 फरवरी, 2023

विज्ञप्ति

सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा–2022

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) परीक्षा–2022' के विज्ञापन संख्या :: A-2/E-3/R.I.(Tech.)/2021 दिनांक 07 जून, 2022 के क्रम में स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) दिनांक 19 अप्रैल, 2023 (बुधवार) को एकल परीक्षा केन्द्र, परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित की जायेगी। अभ्यर्थी प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र दिनांक 04 अप्रैल, 2023 (मंगलवार) से आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थी प्रश्नगत स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न **'परिशिष्ट– क'** का अवलोकन करें। प्रश्नगत स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश निम्नवत् हैं :–

(1) स्क्रीनिंग परीक्षा एक छंटनी परीक्षा (Screening exam) है, जिसके अंक लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेगें।

(2) स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(3) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें।

(4) **अँगूठे का निशान** (Thumb Impression) : सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित

करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(5) **उत्तर कुँजी आपत्ति** : वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष रू0 50.00 (रू0 पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेगें। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रतिप्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नही किया जाता है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा। भुगतान के पश्चात शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(6) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** : वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र को हल करने हेतु कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव